सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांकः 641/सि0वि0वि/सा0प्रशा0/2026 दिनांकः 10/07/2026

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
(डिजीशक्ति पोर्टल)
संबद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

विषयः–स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत DigiShakti Portal पर पात्र छात्र–छात्राओं के Aadhaar Verification में अत्यधिक शिथिलता बरते जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पूर्व **पत्रांक 1615/सि0वि0वि0/सा0प्रशा0/2026, दिनांक–24.02.2026** का संदर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त महाविद्यालयों को DigiShakti Portal पर उपलब्ध पात्र छात्र–छात्राओं के डेटा का Aadhaar Verification तत्काल पूर्ण करानें हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन/जिला प्रशासन के निर्देश के अनुपालन में विश्वविद्यालय स्तर पर की गई निरंतर मॉनिटरिंग एवं पोर्टल समीक्षा के दौरान यह अत्यन्त खेदजनक एवं गंभीर तथ्य संज्ञान में आया है कि अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा पात्र छात्र–छात्राओं का Aadhaar Verification पूर्ण नहीं कराया गया है। उक्त शिथिलता एवं उदासीनता के कारण बड़ी संख्या में पात्र छात्र–छात्राएँ शासन की महत्त्वपूर्ण स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के लाभ से वंचित हो सकते है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पात्र छात्र–छात्रा का Aadhaar Verification पूर्ण नहीं कराया जाता है अथवा किसी पात्र छात्र–छात्रा के योजना के लाभ से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसे सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रशासनिक लापरवाही एवं उत्तरदायित्वहीनता माना जाएगा तथा सम्बन्धित प्राचार्य/नोडल अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

संलग्नकः–पूर्व निर्गत पत्र की छायाप्रति।

10/07/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. नोडल अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी, कोडिंग सेल, कॉलेज लॉगिन एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करनें हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर–272202
उ0प्र0(भारत)Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांकः 1615/सि0वि0वि/सा0प्रशा0/2026 दिनांकः 24/02/2026

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
संबद्ध महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर।

विषय–स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र–छात्रओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जानें के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं का डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड/सत्यापित डाटा का **आधार प्रमाणीकरण** (Aadhar Verification) सुनिश्चित किया जाना **अनिवार्य** है, जिससे डुप्लीकेसी की संभावना समाप्त की जा सके।

समस्त सम्बन्धित को निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है–

1. अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्र–छात्राओं का आधार के अनुसार सही विवरण प्राप्त करें एवं प्राप्त विवरण को DigiShakti Portal पर अपलोड/सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
2. छात्र/छात्रा का नाम, जन्मतिथि, आधार संख्या, लिंग आदि विवरण का आधार अभिलेख से मिलान कर **त्रुटिरहित प्रविष्टि** सुनिश्चित करें।
3. जिन छात्र–छात्राओं का प्रमाणीकरण अस्वीकृत (Rejected) है, उनके विवरण में आवश्यक संशोधन कर पुनः सत्यापन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।

अतः अपेक्षित है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा आधार प्रमाणीकरण संबंधी कार्य में शिथिलता/लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित महाविद्यालय के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नकः–जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश पत्र की छायाप्रति।

24/02/26
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय,कपिलवस्तु
सिद्धार्थनगर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नोडल अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी, कोडिंग सेल, कॉलेज लॉगिन एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करनें हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

EU834301681 IN
UPDESC-SWOSVYS/2/2023-SWUPDES

I/452687/2026

upDesco

कार्यालय जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर
पत्र संख्या 1348 /E.R.K.
दिनाँक 13/2/26

सन्दर्भ संख्या:- D/25-26/4054
दिनांक:- 07-02-2026

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग; व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन; चिकित्सा शिक्षा विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम; पशुधन विभाग; कृषि विभाग; कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग; आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; संस्कृति विभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

3. कुलपति,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज; अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़; बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ; बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी; केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी; राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी; नेहरु ग्राम भारती, प्रयागराज; उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ फोरेंसिक साइंस, लखनऊ; लाल बहादुर शास्त्री पैरामेडिकल कौशल और प्रशिक्षण परिषद, मेरठ; केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

कुल सचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर
13-2-26

विषयः स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 667/77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थियों का डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात लाभार्थी स्वयं का आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु पात्रता की सूची में आता है तत्पश्चात ही जनपद स्तर से उसका चयन कर सम्बंधित संस्थान को वितरण हेतु उपकरण प्राप्त कराया जा सकता है।

3. सूच्यनीय है कि योजनान्तर्गत पोर्टल पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के मध्य वितरण किये जाने हेतु 25 लाख टेबलेट क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके उपरान्त समस्त जनपदों में टेबलेट की आपूर्ति यथाशीघ्र सम्पन्न की जाएगी। वर्तमान में दिनांक 03.02.2026 तक योजना हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध विभाग द्वारा लॉक्ड 20,98,383 लाभार्थियों का डाटा, लाभार्थी द्वारा स्वयं का आधार प्रमाणीकरण

Mr Moolchand
To circulate among all concerned

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड
(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)
अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ– 226010
दूरभाष : 0522–2307803 | e-mail : mdupdesco.up@gmail.com | website : www.upite.gov.in/UPDESCO

किये जाने हेतु शेष है। इस स्थिति में उक्त लाभार्थियों का डाटा डिवाइस वितरण हेतु पात्रता की सूची में तभी सम्मिलित होगा जब उन लाभार्थियो द्वारा अपना आधार प्रमाणीकरण डिजीशक्ति की वेबसाइट https://digishakti.up.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से करा लिया गया हो।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अपने जनपद/विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुँचायें जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीया,

Digitally signed by
Neha Jain
Date: 06-02-2026
15:08:20

(नेहा जैन)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

2- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ।

3- कुलसचिव, योजना से सम्बंधित समस्त विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई -मेल के माध्यम से प्रेषित ।

4- नोडल अधिकारी, योजना से सम्बंधित समस्त संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही हेतु ई -मेल के माध्यम से प्रेषित ।

(नेहा जैन)

प्रबन्ध निदेशक